

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 17, मंगलवार, शाके 1947- जुलाई 08, 2025 Asadha 17, Tuesday, Saka 1947- July 08, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान, जयपुर
(जिला-कोटा)
अधिसूचना
कोटा, जून 21 2025

(अंतर्गत भूमि अर्जन पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार)
अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)

राजकाज 16044803 :-राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2006 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार कोटा जिला में रामगंजमण्डी तहसील में रामगंजमण्डी रिंग रोड को निर्माण कार्य किया जाना है, जिसकी स्वीकृति राज्य बजट मद के तहत श्रीमान अतिरिक्त सचिव (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक F7(325)/A&F/Sec-II/2024-25/ D-1816 दिनांक 28.01.2025 द्वारा राशि रुपये 68.87 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई हैं। जिसमें रामगंजमण्डी में रिंग रोड के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति की जानी है। जिनका का विवरण निम्नानुसार हैं।

क्र.सं.	राज्य	जिला	तहसील	गांव
1	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	रामजंगमण्डी
2	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	खैराबाद
3	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	गुण्दी
4	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	मायला
5	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	निमाना
6	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	पिपाखेड़ी
7	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	कुटक्या
8	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	सातलखेड़ी
9	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	बीडमण्डी
10	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	मण्डीनाथन
11	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	कुदायला
12	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	दुर्जनपुरा

13	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	अरन्या खुर्द
14	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	लक्ष्मीपुरा
15	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	अमरपुरा
16	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	कुम्भकोट
17	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	नलोदिया
18	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	साण्डपुर
19	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	बिशन्याखेड़ी
20	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	रोसली
21	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	किशोरपुरा
22	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	रावली
23	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	देवलीखुर्द
24	राजस्थान	कोटा	रामजंगमण्डी	मण्डली
25	राजस्थान	कोटा	चेचट	दुहनिया
26	राजस्थान	कोटा	चेचट	सोहनखेड़ा

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोटा जिला रामजंगमण्डी में रिंग रोड के लिए भूमि अवाप्ति करबा रामजंगमण्डी के ग्राम रामजंगमण्डी, खैराबाद, गुण्दी, मायला, निमाना, पिपाखेड़ी, कुटक्या, सातलखेड़ी, बीडमण्डी, मण्डीनाथन, कुदायला, दुर्जनपुरा, अरन्या खुर्द, लक्ष्मीपुरा, अमरपुरा, कुम्भकोट, नलोदिया, साण्डपुर, बिशन्याखेड़ी, रोसली, किशोरपुरा, रावली, देवलीखुर्द, मण्डली, दुहनिया, सोहनखेड़ा का चयन किया गया हैं।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुन व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और निम्नानुसार होगी।

- 1) संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित गांवों भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
- 2) प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित सभा तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में प्रर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
- 3) जनसुनवाई के दौरान आये सुझाव/अपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाधान प्रबंध योजना तैयार की जावेगी।

- 4) सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबंधित ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका के परामर्श में की जावेगी।
- 5) सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
- 6) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम छः माह अवधि से पूर्व संपूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

आर.के.मीणा

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड रामगंजमण्डी जिला कोटा

ग्लोबल इन्फ्रा सोल्यूशन, भोपाल

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी,

प्रवीण कुमार नारनवरे

सामाजिक विशेषज्ञ

आर.के. लूथरा

संयुक्त सचिव (पथ),

सार्वजनिक निर्माण, राजस्थान, जयपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।